

फोन PH : 2411195,  
2410477  
STD CODE : 0431



फैक्स / Fax : 0431-2411583  
E-mail : cextrich@excise.nic.in  
website: www.centralexciseitrichy.gov.in

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर आयुक्त का कार्यालय  
नं.1, विलियम्स रोड, कन्टोनमेंट, तिरुचिरापल्लि - 620 001.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE & SERVICE TAX  
NO.1 WILLIAMS ROAD, CANTONMENT, TIRUCHIRAPPALLI - 620 001.

सी.सं. II/39/06/2014-स्था (हिन्दी)

दिनांक 25.05-2017

सेवा में,

महानिदेशक,

प्रदर्शन महानिदेशालय

सीमा एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,

डी ब्लॉक, आई. पी. भवन,

नई दिल्ली- 110002

—To

The Director General

Directorate of Performance Management

Custom & Central Excise

D Block, IP Bhawan,

New Delhi-110002.

विषय- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 31-12-2016 एवं 31-03-2017 को समाप्त तिमाही बैठक का कार्यवृत्त भेजने -संबंधित।

Sub - Submission of Minutes of Official Language Implementation Committee Meeting for the quarter ending 31-12-2016 and 31-03-2017 held on 24.05.2017 reg. केंद्रीय उत्पाद शुल्क त्रिची की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अक्टूबर-दिसंबर 2016 एवं जनवरी-मार्च 2017 की दिनांक 24.05.2017 को आयोजित तिमाही बैठक के कार्यवृत्त की प्रस्तुति संबंधित।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क त्रिची आयुक्तालय के लिए 31.12.2016 एवं 31.03.2017 को समाप्त तिमाही की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 24.05.2017 को 3.30 बजे एस.श्रीमती, संयुक्त आयुक्त की अध्यक्षता में मुख्यालय कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई।

The meeting of the Official Language Implementation Committee of the commissionerate of Central Excise Trichy for the quarter ending 31.12.2016 and 31.03.2017 was conducted on 24.05.2017 at 3.30 pm. In the conference hall of hqrs.

बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक कार्रवाई के लिए एवं सूचनार्थ प्रस्तुत है।

The minutes of the meeting are inclosed herewith for necessary action and information please.

*श्रीमती*  
(एस. श्रीमती/ S.Srimathi)

संयुक्त आयुक्त/Joint Commissioner

संलग्न/Enclosed- बैठक का कार्यवृत्त /OLIC meeting minutes  
प्रतिलिपि प्रस्तुत/Copy to :

1. उप महानिदेशक, प्रदर्शन महानिदेशालय सीमा एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, डी ब्लॉक, आई. पी. भवन, नई दिल्ली- 110002  
The Deputy Director General Directorate of Performance Management Custom & Central Excise D Block, IP Bhawan, New Delhi-110002.
2. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोयंबतूर क्षेत्र  
Chief Commissioner of centra Excise and customs Coimbatore Zone.
3. उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, (दक्षिण-पश्चिम), राजभाषा विभाग, केंद्रीय भवन, ब्लाक सी-1, 7वां तल, सीएसईजेड, कोचिन-682037  
THE DEPUTY DIRECTOR, REGIONAL IMPLEMENTATION OFFICE (SOUTH -WEST), DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE ,KENDRIYA BHAWAN, BLOCK -C-1, 7TH FLOOR CSEZ. P.O. COCHIN -682037
4. अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मंडल रेलवे प्रबंधक, दक्षिण रेलवे, त्रिची  
The Chairman, Town Official Language Implementation Committee, Divisional Railway Manager, Southern Railway, Trichy
5. अध्यक्ष/सचिव सदस्य समिति/सभी उपायुक्त /सहायक आयुक्त/मंडल प्रमुख त्रिची केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय, सभी अनुभाग प्रमुख मुख्यालय, त्रिची, रेल प्रमुख  
The Secretary/Members of Committee, All Deputy/Astt. Commissioner in Charge of Divisionsin Trichy central Excise Commissionerate. All section Heads in Hqrs. Office, Trichy & incharge of Ranges.

*Computer*

Created with



**nitroPDF** professional

download the free trial online at [nitropdf.com/professional](http://nitropdf.com/professional)



केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर आयोग का कार्यालय  
नं.1, विलियम्स रोड, कन्टोनमेंट, तिरुच्चिरापल्लि - 620 001.  
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE & SERVICE TAX  
NO.1 WILLIAMS ROAD, CANTONMENT, TIRUCHCHIRAPPALLI - 620 001.

सी.सं. II/39/06/2014-स्था (हिन्दी)

दिनांक 25.05-2017

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यावृत्ति।

Minutes of the meeting of the official language implementation committee

\*\*\*\*\*

केंद्रीय उत्पाद शुल्क त्रिची आयुक्तालय के लिए 31.12.2016 एवं 31.03.2017 को समाप्त तिमाही की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 24.05.2017 को 3.30 बजे एस्.श्रीमती, संयुक्त आयुक्त की अध्यक्षता में मुख्यालय कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई।  
The meeting of the Official Language Implementation Committee of the commissionerate of Central Excise Trichy for the quarter ending 31.12.2016 and 31.03.2017 was conducted on 24.05.2017 at 3.30 pm. In the conference hall of hqrs. The following officers attended the meetings.

क्र.सं.S.No	नाम/सुश्री/श्री/श्रीमती Name (S/Shri/Smt)	पदनाम/ Designation
1.	एस्.श्रीमती, संयुक्त आयुक्त S. Srimathi, Joint Commissioner	अध्यक्ष महोदया Chair Person
2.	एस्. रामाकृष्णनन, सहायक आयुक्त S. Ramakrishnan, Assistant .Commissioner	सदस्य सचिव Member Secretary
3.	वि.एस.वेंकटेश्वरन, उपायुक्त V.S.Venkateshwaran , Deputy Commissioner	सदस्य Member
4.	आर.एसं.श्रीधर, सहायक आयुक्त R.S. Sridhar, Assistant .Commissioner	"
5.	आर. सुरारी नर्मदा, मुख्य लेखा अधिकारी R. Murahari Narvatha, CAO	"
6.	एन.डी.राजासिंहन, अधीक्षक N.D.Rajasihhan, Supdt,	"
7.	के.पी.विश्वनाथन, अधीक्षक K.P. Vishwanathan , Supdt.	"
8.	एस्.तिरूमलराज, अधीक्षक S. ThirumalRaj, Supdt.	"
9.	ए.सेल्वराज प्र.अ. A.Selvaraj, AO,	"
10.	एम.मरगादवल्ली, स.मु.ले.अ. M. Marghathavalli, ACAO	"
11.	के.आर. पार्थसारथी K.R. Parthsarthi. Supdt.	"
12.	ए.गीता, प्र.अ. A Geeta, AO	"
13.	जे.लक्ष्मीनारायणन, प्र.अ. J.Lakshminarayanan, AO	"
14.	बी.शांती, प्र.अ. B.shanthi, AO	"
15.	राजीव कुमार , निरीक्षक Rajiv kumar, Inspector	"
16.	विजेंद्र , कनिष्ठ अनुवादक, तिरूनलवेली Vijendra, Junior Translator, Tirunelveli	"

सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया एवं अंतिम बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा की गई। सहायक आयुक्त (राजभाषा) ने सभी सदस्यों का स्वागत किया एवं पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा की। संयुक्त आयुक्त महोदया ने सभी सदस्यों से पूछा कि कार्यालयी पत्रों में पता द्विभाषी रूप में प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं। साथ ही निर्देश भी दिया कि सभी पत्रों में पता द्विभाषी ही जारी किया जाए।

AC(OL) welcomed all the members and action taken on the decisions of the last OLIC meeting were first reviewed. The joint commissioner asked if all the letter heads and office address are used in bilingual format and directed to use bilingual office address only in all the letters.

### बैठक में निम्नलिखित मुद्दे पर चर्चा की गई।

Following agenda was discussed during the meeting.

#### व्यक्तिगत भूमिकाएं/Individual Roles

राजभाषा कार्यान्वयन के लक्ष्यों की प्राप्ति सभी अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी से ही संभव है। सभी अधिकारी यदि राजभाषा के प्रति अपनी भूमिका को समझे एवं सतर्क रहें तो एक सफल तंत्र विकसित किया जा सकता है। निम्नलिखित कार्य सभी अधिकारी स्वयं की जिम्मेदारी समझ कर पूरा कर सकते हैं।

Efficiency and successful implementation of official language would totally be dependent on individuals only an officer realizing their roles and awareness towards official language is part of a successful system. Following points may be included in all the officers responsibilities.

1. क्या मुझे हिंदी मालूम है ? Do I know Hindi?  
राजभाषा नियम 1976 के अनुसार सभी अधिकारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान आवश्यक है। यदि किसी को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है तो उन्हें हिंदी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित की जा रही हिंदी कक्षाओं में भाग लेना आवश्यक है साथ ही परिवार के सदस्यों को भी हिंदी सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।  
As official language rules 1976 says all the Central Govt. employees must have a working knowledge of Hindi if they don't have working knowledge of Hindi they must attend Hindi classes and also encourage family members to learn Hindi.
2. क्या मेरे पास द्विभाषी नाम की मुहर है? Do I have a Bilingual name seal?  
सभी अधिकारियों को स्वयं ही अनिवार्य रूप से जांच करना चाहिए कि उनके पास द्विभाषी नाम की मुहर हो एवं मुहर को हमेशा टिप्पणी में प्रयोग किया जाना चाहिए।  
All the officers themselves has to check if they are using bilingual material in official works bilingual name seal is must for all the officers and after getting the seal an officer must use the seal in nottings.
3. क्या मेरी वर्दी के बैज एवं लोगो द्विभाषी हैं? Do my uniform have bilingual badge and logo?  
सभी वर्दीधारी अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए कि उनके वर्दी के नाम बैज एवं लोगो द्विभाषी में ही हों।
4. क्या मेरे कंप्यूटर में यूनिकोड है? Do my computer have Unicode?  
एक अधिकारी जो कंप्यूटर पर कार्य करता है उसे स्वयं ही सुनिश्चित करना चाहिए कि कंप्यूटर में यूनिकोड सक्रिय है। इसके लिए राजभाषा वेबसाइट, हिंदी अनुभाग एवं इंटरनेट की सहायता ली जा सकती है।

An officer working must install Unicode in the computer to work in bilingual format. Rajbhasha website, Hindi section or internet could be used to activate Unicode in computers.

5. क्या मैं हिंदी संबंधित कार्यक्रमों हिंदी सप्ताह, हिंदी बैठक, हिंदी कार्यशाला इत्यादि में शामिल हूँ? Do I participate in Hindi week and Hindi meeting and Hindi workshop etc events?

हिंदी सप्ताह को मनाया जाना संविधान में हिंदी को राजभाषा (14 सितंबर 1949) बनाने का उत्सव है इसलिए सभी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से हिंदी सप्ताह एवं अन्य कार्यक्रमों शामिल होना चाहिए एवं साथियों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। Hindi week celebration is an important part of official language implementation. All the officers must participate in Hindi events and encourage others to take part.

6. क्या मैंने विभागीय पत्रिका के लिए लेख दे दिया है? Do I have given articles for the departmental magazine?

राजभाषा पत्रिका विभाग के लिए गौरव का प्रतीक है। इसलिए सभी अधिकारियों को पत्रिका के लिए लेख देना चाहिए एवं परिवार के सदस्यों को भी योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

Official Language Magazine is the pride of the department all the officers must give articles and encourage family members to contribute also.

7. क्या मुझे राजभाषा संबंधित नियमों का पता है? Do I know official language rules?

सभी अधिकारियों को मौलिक राजभाषा नियमों की जानकारी आवश्यक है जैसे कि हिंदी में प्राप्त पत्रों का जवाब हिंदी में देना चाहिए एवं धारा 3 के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज द्विभाषी ही जारी किये जाए क्योंकि राजभाषा कार्यान्वयन संबंधित आदेश एवं नियम भारत के मानीय राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाते हैं।

All the officers must know the basic official language rules like Hindi letters must be replied in Hindi only and documents coming under section 3 must be issued bilingual only, as the official language implementation rules and orders are issued by president of Indias orders.

8. हिंदी अनुभाग कहाँ है एवं मैं हिंदी अनुभाग से नियमित रूप से कैसे संपर्क में रहूँ? Where is Hindi section and how could I get connected to it everyday?

यह सभी अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि वे हिंदी अनुभाग से नियमित रूप से संपर्क में रहें क्योंकि राजभाषा का कार्यान्वयन एक टीम वर्क है सभी के सहयोग से ही सभी लक्ष्य प्राप्त किये जा सकते

हैं। नियमित रूप से अनुवाद उपलब्ध कराना , नियमों की जानकारी, हिंदी में रुझान , हिंदी अनुभाग एवं हिंदी अधिकारियों के प्रति सम्मान एवं हिंदी का महत्व राष्ट्र निर्माण एवं विभाग के सफल तंत्र के विकास के लिए आवश्यक है कि समझ राजभाषा कार्यान्वयन को नये आयाम प्रदान कर सकती है।

It is the responsibility of all the individual officer to know and get connected with Hindi section everyday as it is a team work to achieve all the targets of Official language implementation. Providing regular Translation, taking part in the activities , knowing the rules, taking interest, showing respect understanding the importance and using Hindi in official work will build to a successful and strong system in official language Area .

### अध्यक्ष महोदया ने अंत में निम्नलिखित निर्देश दिए

In the end Joint commissioner directed that -

1.तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय पर भेजी जाए एवं द्विभाषी रूप में ही जारी की जाए

Quarterly progress report must be sent timely and bilingual only.

2.द्विभाषी मुहरों का प्रयोग किया जाए

Bilingual name seal must be used in official works

3.हिंदी में प्राप्त पत्रों का जवाब हिंदी में दिया जाना चाहिए

Letters received in Hindi must be replied in Hindi only.


4.करूर मंडल का निरीक्षण किया जाए एवं उनको सहायता कि जाए

Karur division may be inspected and helped in official language works.

5. राजभाषा के राह में आ रही खामियों को लिखित में दिया जाए

The shortcomings in official language implementation work may be reported

धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई। The meeting concluded with vote of thanks



(एस. श्रीमती/ S.Srimathi)

संयुक्त आयुक्त/Joint Commissioner